कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

क्रमांकः 10 **दिनांकः** 15/7/23

आदेश

पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक-3156, दिनांक 12.06.2023 द्वारा जैसलमेर जिले में नवसृजित पुलिस थाना तनोट, जैसलमेर का गठन किया गया है। नव-सृजित पुलिस थाना तनोट, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार निर्धारण करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक- 05/पीआई/2017 दिनांक 18.03.2017 के अनुसरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-239, दिनांक 11.07.23 द्वारा प्रस्ताव श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को प्रेषित कर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर के आदेश क्रमांक- स्था./2023/1179, दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप मुझ डॉ० लेखपाल शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवसृजित पुलिस थाना तनोट, जैसलमेर में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरणों की सुनवाई, विचारण व निस्तारण का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर न्यायालय को करता हूँ।

उपर्युक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की स्वीकृति के अध्यधीन रहेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने तक यह आदेश आज दिनांक 13.07.2023 से अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा।

Lekhpal

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक- 535-56 **दिनांक-** 15/07/23

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है-

1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

2- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, परिवारिक न्यायालय, जैसलमेर

3- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर

4- श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

5- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी प्रकरण, जैसलमेर

6- श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

7- श्रीमान् जिला कलक्टर, जैसलमेर

8- श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

9- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

10- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण

11- न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

12- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

13- किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर

14- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा, मुख्यालय पोकरण

15- अध्यक्ष, अभिषाक परिषद्, जैसलमेर

16- सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर

17- उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जैसलमेर

18- उपकारापाल, पोकरण

19- समस्त थानाधिकारी, कोतवाली, सदर, महिला पुलिस थाना, सम, झिंझिनयाली, सांगड, मोहनगढ, रामगढ, शाहगढ, खुहडी, पोकरण रामदेवरा, लाठी, नाचना, नोख, भणियाणा, सांकडा, फलसूण्ड, जैसलमेर।

20- प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस आदेश को सभी आरक्षी केंद्रों को संसूचित करें।

21- सिस्टक अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलपि भेजकर लेख है कि वह इस आदेश को ज़िला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें

22- कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर